राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम विक्रम जोगी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जोगी

किस्मः– एफएसएसए एक्ट; नमूना कोडः– जी–1424 मुकदमा नम्बरः– 70/2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(II)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः–26.09.2023

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री विक्रम जोगी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जोगी, निवासी ग्रा. पो. बीलवा, जिला झुन्झुनू हाल जिला नीम का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.02.2021 को समय 02:00 पी.एम. पर श्री विक्रम पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जोगी, ग्रा. पो. बीलवा, झुन्झुनू हाल जिला नीम का थाना को निरीक्षण किया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम विक्रम होना बताया। उक्त फर्म का खाद्य अनुपज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया।

फर्म विक्रम जोगी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जोगी, निवासी ग्रा. पो. बीलवा, जिला झुन्झुनू हाल जिला नीम का थाना पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ स्किम्ड मिल्क पाउडर में मिलावट का संदेह होने पर फर्म पर उपलब्ध स्टोक 40–40 कि.ग्रा. के कट्टों में रखे कुल 200 कि.ग्रा स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 01 किलो ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 400 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **जी–1424** खाद्य पदार्थ स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ स्किम्ड मिल्क पाउडर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 21,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राजकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:40 IST
Reason: SelfAttested

राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:40 IST
Reason: SelfAttested